राजस्थान सरकार
नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक प.17(1)नविवि/अभियान/2021

जयपुर, दिनांक : 20 APR 2022

आदेश

"प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021" के दौरान नगरीय निकायों द्वारा पूर्व में जारी लीज–होल्ड पट्टों को फ्री–होल्ड करने हेतु मूल पट्टे की आवश्यकता के मध्यनजर बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थानों में जमा मूल पट्टों के संबंध में बैंक एवं वित्तीय संस्थानों के उच्चाधिकारियों से दिनांक 16.12.2021 को आयोजित बैठक में हुई चर्चा उपरान्त निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने के आदेश प्रदान किए जाते है:–

1. लीज–होल्ड से फ्री–होल्ड पट्टा प्राप्त करने हेतु आवेदक द्वारा संबंधित निकाय आवेदन पत्र 50/– रूपये के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पत्र शपथ पत्र परिशिष्ट "अ" में समस्त समस्त दस्तावेजों की स्व–प्रमाणित प्रतियों सहित प्रस्तुत किया जायेगा।
2. आवेदन प्राप्त होने के पश्चात नियमानुसार जांच कर निर्धारित शुल्क जमा करवाने हेतु मांग पत्र जारी किया जायेगा, साथ ही निकाय द्वारा संबंधित बैंक/वित्तीय संस्थान को भी सूचित किया जायेगा।
3. राशि जमा होने के पश्चात नाम परिवर्तन, उप विभाजन/पुनर्गठन, भू–उपयोग परिवर्तन, खांचा भूमि आवंटन आदि हुआ है तो उनका एवं पुराने लीज–होल्ड पट्टे एवं अन्य समस्त लिंक दस्तावेजों का उल्लेख करते हुए नया फ्री–होल्ड पट्टा तैयार किया जायेगा।
4. नया फ्री–होल्ड पट्टा तैयार होने पर संबंधित निकाय द्वारा आवेदक एवं संबंधित बैंक/वित्तीय संस्थान को पुराना लीज–होल्ड पट्टा एवं समस्त चैन ऑफ डॉक्यूमेंट की मूल प्रतियां जमा कराने के संबंध में निर्धारित स्थान/शिविर, दिनांक एवं समय पर उपस्थित होने के लिए सूचित किया जायेगा।
5. कैम्प की निर्धारित दिनांक को संबंधित बैंक/वित्तीय संस्थान के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मूल लीज–होल्ड पट्टा एवं समस्त मूल दस्तावेज (चैन ऑफ डॉक्यूमेंट्स) संबंधित निकाय में जमा कराये जायेंगे। उसी समय संबंधित आवेदक द्वारा शिविर में नये फ्री–होल्ड पट्टे का पंजीयन करवाया जायेगा। पंजीयन पश्चात नया जारी फ्री–होल्ड पट्टा संबंधित बैंक/वित्तीय संस्थान के प्रतिनिधि द्वारा प्राप्त किया जायेगा, जिसकी फोटो प्रति संबंधित आवेदक द्वारा स्थानीय निकाय में रिकॉर्ड हेतु जमा करवानी आवश्यक होगी।
6. निकाय में वापिस जमा करवाये गये पुराने लीज–होल्ड पट्टे पर नये जारी फ्री–होल्ड पट्टे को नोट अंकित कर पत्रावली में नत्थी किया जायेगा।
7. वित (कर) विभाग से प्राप्त राय के अनुसार बैंक/वित्तीय संस्थाओं को सूचित किया जा रहा है।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं।

(हृदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, सलाहकार, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निदेशक स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान जयपुर।
6. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. संयुक्त शासन सचिव–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग।
8. समस्त संबंधित बैंक/वित्तीय संस्थान।
9. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी, नविवि।
10. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

Scanned with Cam

प्रपत्र "अ" (50 रूपये के स्टाम्प पेपर पर)

लीज–होल्ड से फ्री–होल्ड पट्टा प्राप्त करने हेतु (मूल पट्टा बैंक/वित्तीय संस्थान में जमा होने की स्थिति में)

शपथ–पत्र

मैं/हम .... पुत्र/पत्री/पत्नि ....
उम्र .... जाति .... निवासी ....
.... आधार सं. .... मो. नं. ....
. शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ/करती हूँ :–

1. यह कि .... की योजना ....
   .... में भू. सं. .... क्षेत्रफल .... प्रयोजन ....
   .... हेतु 99 वर्षीय जारी लीज–होल्ड पट्टा धारक हूँ।
2. यह कि उक्त लीज–होल्ड पट्टे का मैं मूल आवंटी/हस्तान्तरिती/अंतिम क्रेता (स्वामी) हूँ।
3. यह कि बैंक/वित्तीय संस्थान .... से भवन/मॉर्टगेज ऋण प्राप्त करने हेतु उक्त लीज–होल्ड का मूल पट्टा एवं समस्त दस्तावेज (लिंक डॉक्यूमेंट सहित) .... (बैंक/वित्तीय संस्थान का नाम मय पता) में जमा हैं।
4. यह कि मैं/हम पूर्व में जारी लीज–होल्ड पट्टे के स्थान पर नया फ्री–होल्ड पट्टा लेना चाहता/चाहते हैं।
5. यह कि फ्री–होल्ड पट्टा प्राप्त करने हेतु लगने वाले समस्त शुल्क को अदा करने के लिए मैं बाध्य रहूंगा।
6. यह कि निकाय द्वारा नये पट्टे के पंजीयन हेतु बुलाये जाने पर निर्धारित दिनांक एवं समय को उपस्थित होकर पंजीयन करवाने के लिए बाध्य रहूंगा।
7. यह कि नया फ्री–होल्ड पट्टा पंजीयन होने के पश्चात मूल प्रति संबंधित बैंक/वित्तीय संस्थान के प्रतिनिधि को सीधे ही उपलब्ध करवा दी जायेगी, इसके लिए मैं सहमत हूं।
8. यह कि उक्त भूखण्ड के संबंध में मैं स्वयं तथा मेरे विधिक वारिसान उक्तानुसार पाबंद रहेंगे तथा भविष्य में किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं करेंगे।

हस्ताक्षर, शपथगृहिता

सत्यापन

मैं/हम उपरोक्त शपथगृहिता सत्यापित करता हूँ/करते हैं कि उक्त शपथ–पत्र के बिन्दु सं. 1–8 में पर्णित समस्त तथ्यों को मैंने/हमने होश–हवाश व स्थित बुद्धि व बिना दबाव के स्वेच्छा से 50/– रूपये के स्टाम्प पेपर पर लिख दिया गया है।

हस्ताक्षर सत्यापनकर्ता

Scanned with Cam